न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–349 / 2026
बाढ़ थाना कांड संख्या–131 / 2026
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109(1), 303(2), 352, 351(2). 3(5) बीएनएस

16.07.2026

याचिकाकर्ताओं–1. सोनु कुमार 2. जय शंकर पासवान 3. निक्की कुमार 4. विक्की कुमार 5. अंकज कुमार 6. कौशल कुमार एवं 7. शुभम् कुमार उर्फ सुमा कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–482 के अंतर्गत दिनांक–10.04.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109(1), 303(2), 352, 351(2), 3(5) बीएनएस से संबंधित बाढ़ थाना कांड संख्या–131 / 2026, दिनांक–01.03.2026, के नामित अभियुक्तगण हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, आवेदकों की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम जमानत याचिका या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदकगण पर कोई अपराधिक इतिहास नहीं है केवल आवेदक–सोनु कुमार के विरूद्ध इस केस के अलावा एक अन्य मामला लंबित है, जोकि अस्थावां थाना कांड संख्या–168 / 2024 है, जो धारा–103(1) बीएनएस के अंतर्गत दर्ज है, जिसमें वे जमानत पर हैं। आवेदकगण निर्दोष हैं, इन्हें इस केस में गलत फंसाया गया है। जैसा कहा गया है, वैसी कोई घटना नहीं घटी है। सूचक का लड़का–सुबोध पासवान ने सूरज कुमार और राजा कुमार पर गंभीर हमला किया था, जिसके लिए बाढ़ थाना कांड संख्या–100 / 2026 दर्ज किया गया था। आवेदकों के विरूद्ध धारा–109(1) बीएनएस आकर्षित नहीं होता है। चोरी का मामला अजमानतीय और मामले को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। उभयपक्षों ने कहा है कि, आपस में संधि हो गई है और वे लोग अब मामले को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। दोनों पक्षों के बीच पलटा मुकदमा है। इस वाद में आवेदकगण के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि, आवेदक अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा उभयपक्षों के बीच संधि की बात पर सहमति व्यक्त करते हैं।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इस कांड के सूचक–सुबोध पासवान हैं, दिनांक–26.02.2026 को समय लगभग 08.00 बजे रात्रि में वे अपने घर पर थे, तभी सोनु कुमार, जय शंकर पासवान, निक्की कुमार, विक्की कुमार, अंकज कुमार, कौशल कुमार, शुभम् कुमार, मोलू कुमार हरवे–हथियार से लैस होकर आए और अचानक हमला कर दिए, जिसमें सोनु कुमार और जय शंकर पासवान के हाथ धारदार लोहे के कत्ता से उसके पुत्र–गुलशन कुमार के सिर पर मारा, जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–349 / 2026
बाढ़ थाना कांड संख्या–131 / 2026
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109(1), 303(2), 352, 351(2). 3(5) बीएनएस

लगातार

16.07.2026

लगा तथा वह, बेहोश होकर गिर गया, उसके बाद विक्की कुमार, मोलू कुमार, कौशल कुमार लोहे के रड से अंधाधुंध शरीर पर मारने लगा तथा अंकज कुमार एवं शुभम् कुमार गले से सोने का चैन छीन लिया, जो एक–भर का था, जिसकी कीमत डेढ़ लाख रूपये था तथा विक्की कुमार पिस्तौल लहराते हुए तथा सभी धमकी दिए और चले गए कि, केस करोगे तो जान से मार देंगे।

कांड दैनिकी के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, कांड दैनिकी के कंडिका–2 में वादी का पुनः, ब्यान है, जिसमें उन्होंने घटना का समर्थन किया है। इसी प्रकार, कंडिका–5 में साक्षी–सरीता देवी एवं कंडिका–6 में साक्षी–गुरूदयाल पासवान ने घटना का समर्थन करते हुए बताया है कि, सोनु कुमार एवं जय शंकर पासवान हाथ में लोहे के कत्ता से गुलशन कुमार के सिर पर मारा जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा तथा वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अन्य अभियुक्त भी मार–पीट किए। साक्षी–गुरूदयाल पासवान ने आगे बताया कि, गले से सेने का चैन छीने जाने की बात सुबोध कुमार की पत्नी के द्वारा बताया गया। जख्म–प्रतिवेदन में सिर्फ एक जख्म पाया गया है, जोकि 'लेसरेटेड उंड' है। सूचक एवं जख्मी के द्वारा संधि–पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि, उनके बीच संधि हो गई है और उनके बीच 'सौहार्दपूर्ण–संबंध' बहाल हो गया है। आगे वे केस नहीं लड़ना चाहते हैं।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा जख्म की प्रकृति और संयुक्त संधि–पत्र को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण–1. सोनु कुमार 2. जय शंकर पासवान 3. निक्की कुमार 4. विक्की कुमार 5. अंकज कुमार 6. कौशल कुमार एवं 7. शुभम् कुमार उर्फ सुमा कुमार को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर आवेदकगण के आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000 (दस हजार) रुपये के समतुल्य राशि के दो समान प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत धारा 482 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अधीन याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़